

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम, बिरौल

सी0आर0 संख्या—298 / 2024
सी.आई.एस. संख्या—298 / 2024

12.08.2026

परिवादी **मनटुन मंडल** कि ओर से यह परिवाद पत्र दाखिल किया गया। परिवादी को कई अवसर देने के बाद भी सुनवाई हेतु परिवादी उपस्थित नहीं हुई। परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। इससे यह दर्शित होता है कि परिवादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है।

अतः यह न्यायालय उपरोक्त परिवादपत्र को अदम पैरवी में **खारिज** करती है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम
बिरौल
दिनांक— 12.08.2026